न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 40/2017 अपील (GCMS/2017/00145)
पंजीयन दिनांक - 12.06.2017
निर्णय दिनांक - 24.08.2021

1. श्री जितेन्द्र कुमार पिता श्री अम्बालाल व्यास, निवासी ग्लास फेक्ट्री अरविन्द नगर, उदयपुर।
2. श्री राजेश पिता श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल, निवासी ग्लास फेक्ट्री अरविन्द नगर, उदयपुर।

-अपीलार्थी

बनाम

1. श्री विमल कुमार जैन पिता श्री श्याम सुन्दर जैन, निवासी-302, भावना अपार्टमेंट, हाल निवासी 117 न्यु अहिंसापुरी, उदयपुर।
2. श्री परमेंन्द्र सिंह राव पिता श्री दलपतसिंह राव, निवासी ईगल स्टूडियों एयरपोर्ट रोड़, सुन्दरवास उदयपुर।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री जितेन्द्र कुमार व्यास - अपीलार्थी स्वयं

प्रकरण संख्या-24/2015, में श्री विमल कुमार बनाम परमेन्द्र में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2015 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 24.08.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा प्रकरण संख्या-24/2015, में श्री विमल कुमार बनाम परमेन्द्र में पारित निर्णय दिनांक 27.04.2015 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 श्री विमल कुमार जैन द्वारा प्रत्यर्थी-2 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या-87 नया व पुराना 88 होकर आराजी नम्बर 469 रकबा 0.0600 है. आराजी नम्बर 470 रकबा 0.1800 है. आराजी नम्बर 473 रकबा 0.2450 है. कुल किता 3 रकबा 0.4850 है. का प्रार्थी श्री विमल चन्द्र जैन शांतिपूर्वक उपयोग कर रहा है और श्री परमेन्द्र जिसका की उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है, वह जबरदस्ती फसल को काटने की फिराक में है और श्री परमेन्द्र झगडालु प्रवृति का होकर भूमि पर अतिक्रमण करने की नियत से 4-5 फीट अन्दर तक घुसना चाहता है इसलिए उसके विरूद्ध उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

- अपीलार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा दर्ज कर निर्णय दिनांक 27.04.2015 से स्वीकार कर निर्णय पारित किया कि **''नकल जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम सुन्दरवास, पटवार हल्का मादडी पुरोहितान, तहसील गिर्वा अनुसार हाल नम्बर 469, 470, 473 कुल किता 3 रकबा 0.4850 हैक्टर भूमि संयुक्त खातेदारी की होकर प्रार्थी (1) श्री विमलकुमार जैन पिता श्री श्यामसुन्दर जैन निवासी 302 भावना एपार्टमेंट अशोकनगर उदयपुर का 4150/4850 हिस्सा (2) मोहम्मद उस्मान पिता मेहबूब खान निवासी 47 भिखारीनाथ जी के मठ के नीचे भुपालपुरा उदयपुर 700/4850 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी विवादित भूमि का सह–खातेदार है। प्रार्थी द्वारा एल.आर.एक्ट 128 के अन्तर्गत खातेदारी की भूमि पर सीमा ज्ञान करा कर पत्थरगढ़ी करवाने जाने की दाद चाही गई है। खातेदार को सीमा जानकारी एवं पत्थरीगढ़ी करवाने का अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिर्वा को 500रू. के शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त करते हुए आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष की उपस्थिति में ग्राम सुन्दरवास, पटवार हल्का मादड़ी पुरोहितान तहसील गिर्वा अनुसार हाल नम्बर 469, 470, 473 कुल किता 3 रकबा 0.4850 हैक्टर भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी करावें।''**

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2015 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी समक्ष प्रस्तुत की जिसे क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपील अपीलार्थी को पुनः दिनांक 17.05.2017 को लौटाई गई। उक्त आदेश की अनुपालना में प्रश्नगत अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलार्थी श्री जितेन्द्र कुमार व्यास स्वयं उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 02.08.2021 को सुनी गई। प्रत्यर्थीगण बावजुद सुचना अनुपस्थित।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय एवं पारित आदेश में पक्षकार नहीं है किन्तु जिस भूमि पर बाबत प्रत्यर्थीगण ने पत्थरगढ़ी चाही है, उक्त भूमि पर अपीलान्ट के मकानात बने हुए है और उक्त भूमि बाबत सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, उत्तर उदयपुर में एक प्रकरण प्रत्यर्थी–1 के विरूद्ध चल रहा है, जिसमें न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया किन्तु प्रत्यर्थी ने झूठा प्रकरण बना मिलीभगत से पेश कर न्यायालय से धोखे से उक्त आदेश प्राप्त कर लिया, इसलिए अपीलान्ट न्यायालय आप में उक्त अपील अन्तर्गत धारा–96 जादी के तहत पक्षकार नहीं होते हुए भी प्रस्तुत कर रहे है क्योंक उनका हित उक्त आदेश प्रभावित है और उन्हे उक्त अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 04.06.2015 को हुई और तत्काल नकल प्राप्त कर अपील राजस्व अपील अधिकारी समक्ष प्रस्तुत की गई। जिस भूमि बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था वो भूमि दिनांक 21.07.1949 को ही मिसल नम्बर 82/सम्वत् 2004 में ही बापी पट्टे पर दी जाकर आवासीय में रूपान्तरित कर दी गई थ और अपीलार्थी के मकान उक्त भूमि पर सन् 1952 से ही बने हुए है। मौके पर कोई खाते की जमीन नहीं है और न ही वहा पर खेती ही हो रही है। उक्त आराजीयात की भूमि का अमलदरामद सहवन से खाते में करना रह गया इसलिये यह कृषि भूमि जमाबंदी में दर्ज है जबकि भूमि पूर्व में ही रूपान्तरित होकर पट्टे जारी किया जा चुके है। पूर्व में ही न्यायालय में वाद प्रस्तुत है, जिसमें यथास्थिति के आदेश दिये है, जिसे छुपाया गया। सिविल न्यायालय के आदेश पर कमिश्नर रिपोर्ट में मौका देखा गया और उक्त सम्पूर्ण जमीन पर कॉलोनी अरविन्द नगर बसी

हुई है और कोई खेती की जमीन नहीं हो रही है। प्रत्यर्थी-1 के विरूद्ध धोखें में रख पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीयन कराया गया जिसके बाबत दौ फोजदारी प्रकरण भी न्यायालय में जैर विचाराधीन है। उक्त परिस्थितियों के मध्यनजर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय अपास्त किया जावें।

हमने उपस्थित अपीलार्थी की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा प्रकरण संख्या-24/2015, में श्री विमल कुमार बनाम परमेन्द्र में पारित निर्णय दिनांक 27.04.2015 के विरूद्ध न्यायालय हाजा समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी पक्षकार नहीं था। इस प्रकरण में हम सर्वप्रथम इस अपील के एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार किया जाना उचित समझते है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी चाहिये। विधि में जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए दफा 96 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 41 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अपील की जा सकती है। अपील किये जाने के लिए सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकार द्वारा ही अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अन्य कोई व्यक्ति व्यथित पक्षकार है तो उसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के आज्ञापक प्रावधानों व अनेकानेक न्यायिक दृष्टान्त उपलब्ध है। न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत अपील मेमों के सिर्फ धारा-96 सम्बन्ध में कथन प्रस्तुत किये है, परन्तु अपील मेमों के साथ धारा-96 जाब्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों के तहत कोई आवेदन पेश किया है। जो व्यक्ति किसी आदेश या डिक्री में पक्षकार नहीं है, वह अपील में बिना न्यायालय की अनुमति प्राप्त किये पक्षकार नहीं बन सकते है। ऐसी कमी के साथ प्रस्तुत अपील अयोग्य है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष उक्त आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं कर धारा-96 सीपीसी के तहत कोई सक्षम स्वीकृति प्राप्त नहीं की जिससे प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया धारा-96 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से ही खारिज योग्य है।

उपरोक्तानुसार अपीलान्ट द्वारा दफा 96 जाप्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत किये बिना न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त करने का आवेदन किये बिना जो यह अपील प्रस्तुत की है, यह विधि सम्मत् नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर